

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (क) (ओ-125) अलेसे-1/ 1196

दिनांक :- 26-11-2025

आदेश

श्री ओमप्रकाश शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (लिनक नं. 3745) को विभागीय आदेश संख्या 1171 दिनांक 12.11.2025 द्वारा स्थानान्तरण पर नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने एवं राज्यादेशों की अवहेलना करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए मुख्यालय कोषालय, टोंक किया गया था। श्री शर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में नवीन पदस्थापन कार्यालय, संयुक्त शासन सचिव वित्त (आबकारी) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर में कार्यग्रहण करने हेतु निवेदन किया गया है। अतः श्री शर्मा को निलम्बन से बहाल करते हुए नवीन पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

11/2/25
26/11/2025

(संध्या शर्मा)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ.2 (क) (ओ-125) अलेसे-1/ 1196

दिनांक :- 26-11-2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (आबकारी), शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
4. कोषाधिकारी, कोषालय टोंक।
5. श्री ओमप्रकाश शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, को निर्देशित किया जाता है कि नवीन पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करते हुए कार्यग्रहण रिपोर्ट निदेशालय को प्रेषित करावें।
6. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदया।
8. रक्षित/ निजी पत्रावली।

7/4/21

(लखपत मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)